and today morning Mr. Jyoti Basu was shot at. (*Interruptions*) The other day, an attempt was made on the life of Dr. Ram Subhag Singh. . . (*Interruptions*)

श्री रवि राय ((पुरी) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है और खराब भी है। इसकी जांच होनी चाहिए। राजनीतिक हत्याएं नहीं होनी चाहिएं। यह पोलिटिकल एसेसिनेशन है।

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): Sir, a serious notice of this event should be taken. . . (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : बगैर पूर्व सूचना के इस तरह से यहां पर कोई मामला उठा देना कुछ ठीक नहीं जंचता है। अगर मुझे पता हो कि माननीय सदस्य सदन में क्या चीज उठाने वाले हैं तो मैं उसके लिए पहले से तैयार हो सकता हूं।

श्री रवि राय : आज सुबह ग्यारह बजे ही खबर मिली है। पटना में जो चीज हुई है वह बहुत ही खतरनाक है। इस तरह से राजनीतिक एसेसिनेशन नहीं होना चाहिए।

MR. SPEAKER: I will look into it.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): You direct the Government spokesman to make a statement on this.

श्री रवि राय : आज सरकार की ओर से दो बजे बयान हो जाना चाहिए कि पटना में क्या घटना हुई है। उनके पास जो सज्जन थे वह मर गए लेकिन ज्योति बसु का कुछ नहीं हुआ। होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए कि कैसे क्या हुआ।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): This is a very serious matter. Mr. Jyoti Basu was shot at at Patna station and an official accompanying him died. A very serious notice should be taken of it.

MR. SPEAKER: I will look into it. Let me know the facts about the whole case.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North-East): I hope, Sir, you are directing the Railway Minister or the Home Minister to make a statement on it as soon as possible. This is a matter of serious nature.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): We are collecting the information and, we hope, we shall get the information from the Bihar Government by this evening.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): आप सरकार से एक बात और कहें। हमारे पास जो खबर आई है उसके अनुसार जिसने गोली चलाई वह अपनी पिस्तोल घुमाता हुआ प्लेटफार्म से भाग गया। उसके पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We will get all the information.

MR. SPEAKER: He will make a statement.

SHRI HEM BARUA: This political assassination must not be encouraged. Here is a case of a man shooting at the ex-Deputy Chief Minister of West Bengal and the man who accompanies him dies. Mr. Jyoti Basu pointed out the man who used the pistol but that man evaporated from there.

SHRI NAMBIAR (Tiruchurapalli): They did not even care to catch him. . . (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have asked him to make a statement in the House. Now, we take up the Call Attention notice.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED UNRESOLVED BORDER DISPUTE BETWEEN U.P. AND BIHAR AND POSSIBILITIES OF CLASHES OVER HARVESTING

श्री शम्भू नाथ (सैदपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना

[श्री शम्भूनाथ]

चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:

"उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कथित सीमा विवाद के हल न किए जाने और फसल की कटाई पर भयंकर झगड़े होने की संभावनायें।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Mr. Speaker Sir, At present the deep-stream of river Ganga is the boundary between Ballia district of Uttar Pradesh and Shahabad district of Bihar. The course of the river in this area fluctuates from year to year, with the result that the deep-stream also undergoes changes from time to time. When the river subsides after the monsoon, at some places it may flow in more than one stream and if there is doubt as to which of them should be taken as the deep-stream the verification is done by officers of the two State Governments in accordance with the rules on the subject.

According to reports received, some doubt had arisen regarding the actual locus of the deep-stream as emerged after the last monsoon at certain points along the course of the river. The State Governments have been in touch with each other and our information is that the concerned Commissioners of the two Governments would be meeting soon for the verification of the deep-stream. The need for carrying out this work immediately and before the harvesting of crops in this area has been impressed upon the State Governments.

श्री शम्भू नाथ: अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में सीमा विवाद का मसला खड़ा हो गया है और कई राज्यों में इस तरह का तनाव फैला हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस तरह का सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के शाहाबाद जिले, इन दोनों के बीच में गंगा नदी बहती है, करीब 60 मील की लम्बाई में दोनों तरफ यह पी० ए० सी० खड़ी हुई है। इस तनाव को देखते हुए त्रिवेदी कमेटी बनाई गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट दी, पार्लियामेंट में उस पर बहस भी हुई और पार्लियामेंट में वह ऐप्रूव भी हुई लेकिन चूंकि बहुत सारे गांव जो पहले उत्तर प्रदेश के थे आज भी हैं और ऐवार्ड के जरिए भी और कटाव के जरिए जो गांव उत्तर प्रदेश को मिले हैं लेकिन बिहार के कुछ लोगों ने त्रिवेदी ऐवार्ड के खिलाफ़ रिट पेटिशन दायर कर दी है जिसकी वजह से उसका इम्प्लीमेंटेशन रुक गया है। मिनिस्टर महोदय ने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही है:

The State Governments have been in touch with each other and our information is that the concerned commissioners of two Governments would be meeting soon for the verification of the deep stream.

उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस मामले में जानकारी हासिल नहीं की गई। असलियत यह है कि इस विवाद को ख़त्म करने के लिए 1968 में उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार, दोनों ने मिड डीप स्ट्रीम वैरिफिकेशन करना माना और कुछ मिड डीप सर्वे का काम किया भी लेकिन चूंकि उसके बाद वे गांव उत्तर प्रदेश को मिलते थे इसलिए बिहार की सरकार ने उसको नहीं माना। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन् 1969-70 में सेंटर को लिखा कि फिर से वैरिफिकेशन होना चाहिए और वह सेंटर के जरिए होना चाहिए। लेकिन सेंटर की सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। यह कहना कि दोनों सरकारों के कमिश्नर्स आपस में बैठकर यह मामला तय कर लेंगे ऐसी कोई संभावना नहीं है।

गत वर्ष 14 हरिजन जो अपनी जीविका की रक्षा के लिए फसल काटने के लिए गए थे उनकी हत्या की गई। बिहार के लोगों ने की . . . (व्यवधान) मैं यह बात सही कह रहा हूं। शाहाबाद जिले के लोगों ने की। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसी परि-

स्थिति में जब बिहार हर मसले को इवेड कर रहा है और पी० ए० सी० के द्वारा जो उत्तर-प्रदेश के किसानों ने फसल को बोया है और काटना चाहते हैं मगर बिहार की सरकार डिले करती जा रही है तो ऐसी हालत में क्या केन्द्रीय सरकार अपने जनरल सर्वेयर को भेज-कर यह सीमा तय करेगी और जो किसानों ने बोया है उनकी उस फसल को कटवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसमें एक बात तो उनको यह ख्याल रखनी चाहिए कि जो सीमा की समस्या थी वह सीमा की समस्या इस माननीय सदन् द्वारा एक बिल पारित कर देने के बाद तय हो गई है । हमने संसद् के द्वारा एक विधेयक पास किया है जिसके अन्तर्गत वहां पर सीमा निर्धारित करने की हमने एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी है । उसके अन्दर काम भी हुआ है । जहां पर बाऊंडरी पिलर्स फिक्स करने हैं वह स्थान भी निर्धारित कर दिए गए हैं । उसके बाद बाऊंडरी पिलर्स लगने लगे और पिछले साल वह बाऊंडरी पिलर्स लगाने का काम पूरा भी हो जाता लेकिन दुर्भाग्यवश पटना हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं रक्खी गईं और उसके कारण स्टे आर्डर दिया गया । यह काम अभी पूरा नहीं हो पाया है ।

उसके बाद जो दूसरा सवाल उन्होंने उठाया अर्थात जो गहरी नदी का निर्धारण करना था वह वहां सन् 1968 में हुआ था अब दुबारा उसके निर्धारण करने की क्या जरूरत है । जो माननीय सदस्य इस बारे में कुछ जानते हैं उनको मालूम ही है कि हर साल उस चीज में फर्क होता है । जहां पर पिछले साल डीप स्ट्रीम हो वहीं पर इस साल डीप स्ट्रीम हो यह आवश्यक नहीं है । इसलिए इसको हर साल निर्धारित करना पड़ता है । जिस समय यह झगड़ा शुरू हुआ, हम लोगों ने दोनों राज्य सरकारों से कहा कि उनको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए । इसके लिए पुराने नियम बने हुए हैं, जिनके अन्तर्गत यह निर्णय लेना पड़ता है । उन नियमों के अन्तर्गत वहां के रेवेन्यू आफिसर मिलकर इस बात को तय करते हैं । अगर दोनों जगहों के रेवन्यू आफि-सर्स में कोई समझौता न हो तो राज्य सरकारों के ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी समझौता करके निर्णय करते हैं कि कहां पर स्ट्रीम है और कहां पर बाऊंड्री होनी चाहिए और कहां तक किस राज्य सरकार का क्रिमिनल और सिविल जूरिज्डिकशन चलता है । इसके बाद सारी कार्रवाई होती है । स्टे आर्डर के कारण सर्वेअर जनरल को वहां काम करने का अधिकार नहीं है ।

जैसा मैंने अभी कहा बिहार के कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के कमिश्नर दोनों मिलकर इस बात को तय कर रहे हैं । हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि वहां पर इस बीच में कोई ऐसी कार्यवाही न की जाय जिसके कारण दोनों तरफ से किसी तरह की कोई उकसाहट हो या झगड़ा हो । अगर कोई झगड़ा है तो उसको मिटा कर हम जल्दी से जल्दी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में निर्णय हो सके । केवल उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर के कारण यह चीज वहां पूर्ण रूप से तय नहीं हो पाई है, नहीं तो माननीय सदन द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उससे यह चीज पूरी तरह पर तय हो सकती थी ।

DR. RAM SUBHAGH SINGH (Buxar): Regarding the crop that has been sown, it is the people of those villages who are on that side of the Ganga who have been doing that crop. The crops are now ripe. May I know whether any arrangement will be made soon to have it harvested by the persons who have sown that crop because they belong to that village?

एक माननीय सदस्य : बिहार के जमीं-दारों ने ऐसा किया है । उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है । (**व्यवधान**)

श्री शम्भूनाथ : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि त्रिवेदी अवार्ड के खिलाफ रिट लाई गई । जहां तक मुझे मालूम है कि रिट का

[श्री शम्भूनाथ]

फैसला हो चुका है। लेकिन अगर फैसला नहीं हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह रिट कब दाखिल हुई और कितनी रिट्स दाखिल हुई। उनमें से कितनों का फैसला हो चुका है। और कितनी बाकी हैं, क्योंकि बिहार सरकार बराबर चाहती रही है कि उनका फैसला जल्दी न हो क्योंकि बहुत से गांव उत्तर प्रदेश के थे और आज भी उत्तर प्रदेश को मिले हुए हैं। बिहार सरकार जान बूझ कर देर कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इसका फैसला नहीं हुआ है और देर की जा रही है, रिट पेंडिंग हैं तो उसका फैसला जल्दी से जल्दी करवाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ? (**व्यवधान**)

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह कहना गलत होगा कि बिहार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि अभी बिहार हाई कोर्ट के सामने पांच याचिकायें जारी हैं। बाकी का फैसला हो चुका है। केवल पांच पेंडिंग हैं, और मेरी वर्तमान सूचना के अनुसार शायद आज उनका फैसला होगा। चूंकि यह चीज़ हाई कोर्ट के सामने है, उस पर हमारा भी कोई जोर नहीं है और बिहार सरकार का भी कोई जोर नहीं है। अगर हाई कोर्ट वाले फिर उसको स्थगित कर दें तो भी हमारा कोई हुक्म नहीं चल सकता, लेकिन उम्मीद है कि जो पांच याचिकायें बची हुई हैं उनका फैसला आज हो जाएगा।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों सरकारों ने कह दिया कि फसल कटने से रोकी जाय, फसल न काटी जाय। क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उस भाग में लगभग होली के बाद फसल कटनी शुरू हो जाती है और कुछ फसल कट भी गई है। जब फसल कट गई है तब आप आज यह कह रहे हैं कि हमने कह दिया है कि फसल कटने से रोकी जाय, यह क्या बात है ?

दूसरी बात मंत्री महोदय यह बतलायें कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने जो फसल बोई थी क्या बिहार की पी० ए० सी० उसको जबरदस्ती कटवा रही है (**व्यवधान**) ? मैंने पूछा था कि जो फसल उत्तर प्रदेश के किसानों ने बोई थी . . . (**व्यवधान**). . . यह चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि दो शास्त्री आपस में लड़ें।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय): बिहार के पट्टेदार हैं जिन्होंने जमीन पर दखल किया हुआ है। उनके दस लोगों का यहां के जमींदारों ने खून करवा दिया है। दस पट्टेदार हैं। यहां यू० पी० और बिहार का सवाल नहीं है, जमीन और किसान का सवाल है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : बार बार दखल न दिया जाय। थोड़ा बहुत ठीक है। आप तो रुकते ही नहीं हैं। फिर आप दोनों शास्त्री हैं। शास्त्री को शास्त्री का लिहाज करना चाहिए।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : हमारी मुश्किल यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यह चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा : यह बहुत गलत है। दस किसान बिहार के खत्म कर दिए गए हैं उनके जमींदारों के जरिए से।

DR. RAM SUBHAG SINGH: The crops have been sown by those people who belong to that village.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा था कि क्या यह ठीक है कि वहां जो फसल उत्तर प्रदेश के किसानों ने बोई थी उसको आज बिहार की पी० ए० सी० खड़ी होकर कटवा रही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं, कि गत वर्ष 14 व्यक्ति मारे गए। यह किसी

स्थान के लोग मारे गए हों, वह हमारे भाई मारे गए हैं, वह भारत के लोग मारे गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र शर्मा : नरही के बाबू ने कत्ल करवाया है किसानों का।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं तो आपकी ही बात कह रहा हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बात श्री शर्मा से जरूर कह दें कि जिन्होंने कत्ल किया है या जिन्होंने यह पाप किया है हम उनको उतना ही कंडेम करते हैं जितना श्री शर्मा। **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा।

अध्यक्ष महोदय : इससे आपका कोई मसला हल नहीं होगा। आप दूसरों को बोलने क्यों नहीं देते? क्यों बार-बार रुकावट डालते हैं?

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछ रहा था कि गत वर्ष ऐसी भीषण घटना वहां हो चुकी है और दूसरे फसल भी कट गई है। इस एक साल तक भारत सरकार क्यों सोती रही? दोनों प्रदेशों के लोग मरते रहे, उनका कत्ल होता रहा, भारत सरकार ने इतने दिन से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब दो राज्यों में लड़ाई हो तब भारत सरकार को बीच में आकर तत्परता के साथ उसका समाधान करना चाहिए। फिर अब फसल कट रही है, तब भारत सरकार कह रही है, जैसे पहले के नवाब घर फुंक जाने के बाद आर्डर देते थे कि पानी भेजा जाना चाहिए, कि हुक्म दिया जाता है कि फसल को कटने से रोका जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि एक साल तक भारत सरकार क्या करती रही?

श्री विद्या चरण शुक्ल : बड़ी अजीब बात कही माननीय सदस्य ने। एक ओर तो खुद उन्होंने कहा कि वहां फसल कट चुकी है और वहां कुछ हो नहीं सकता, दूसरी ओर वह कहते हैं कि इसमें भारत सरकार एक साल से क्या करती रही। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार का जो कार्य था वह उसने पूरा कर दिया। वहां जो कानून और व्यवस्था का कार्य था वह भारत सरकार का नहीं था, वहां जो फसल बोई जाय या काटी जाय, यह भी भारत सरकार का काम नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : जब दो स्टेट्स में लड़ाई हो तब भारत सरकार को बीच में आना चाहिए।

श्री विद्या चरण शुक्ल : लड़ाई हुई कहां?

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : दोनों की पी० ए० सी० खड़ी हुई है, आप कहते हैं कि लड़ाई नहीं हुई।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जब लड़ाई होने की आशंका हो गई तब हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की और उसी कार्रवाई के अन्तर्गत हमने कहा है, और आज भी आप समझ सकते हैं कि यदि वहां खेतों पर इस बात का झगड़ा हो कि किसको बोना है और किसको काटना है और उसको हम चालू रहने दें तो झगड़ा तत्काल शुरू हो जावेगा, चाहे जितनी पी० ए० सी० लगायें या कितना ही इन्तजाम करें। किसान के लिए खेती से बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। यदि दूसरे लोग आकर उस की फसल को काटने लगेंगे तो वह कैसे काटने देगा। इसलिए जब तक हम इस बात को तय न कर दें कि किसका सिविल जूरिस्डिक्शन है और किसका क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन है, या किस की फसल है किस की नहीं तब तक अन्धाधुन्ध कटाई नहीं की जा सकती। बिना ागा फसाद हुए हमको वहां पर इस बात का अधिकार नहीं है कि हम कटाई को रोक सकें। मैं केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस कार्रवाई के

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

अन्तर्गत कमिश्नरों को लिखा गया कि एक आध दिन में इस बात का फैसला करें और उस फैसले के अन्तर्गत जैसी कार्रवाही करनी हो एग्रीमेंट के अनुसार वह की जाय। अभी यही काम हमने किया है।

श्री चंद्रिका प्रसाद (बलिया) : सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सवाल हिन्दी में होते हैं और हमको जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है। यह बड़े ही खेद की बात है और इस पर इस मंत्रालय को शर्म आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने देख ही लिया कि पार्लियामेंट के मेम्बरों को जो यू० पी० से आते हैं, इस समस्या पर बोलने नहीं दिया जाता है बिहार वालों की तरफ से। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर जहां यह सीमा विवाद है, लोगों के साथ कितनी ज्यादती होती होगी। वहां पर चपरासी से लेकर जज तक उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे।

डा० राम सुभग सिंह : बिहार वाले मारे गए हैं। आप कायदे के खिलाफ मांग करते हैं।

श्री चंद्रिका प्रसाद : उत्तर प्रदेश और बिहार का यह जो मामला है यह दो सूबों के बीच तय होने वाला मामला नहीं है। अगर वे मिलकर इसको तय कर लेते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को वे दोनों सरकारें पंच क्यों बनातीं और पंडित नेहरू श्री त्रिवेदी को इस काम के लिए नियुक्त क्यों करते ? अगर दो स्टेटों का यह मामला होता और अगर यह तय हो सकता तो आज तक तय हो जाता और एवार्ड देने की जरूरत क्यों पड़ती ? इस वास्ते केन्द्र को इस मामले को निपटाना होगा।

मैंने डी० एम० आरा से बात की है। एस० डी० ओ० बक्सर से मैंने बात की है। सेक्रेटरी से मैंने टेलीफोन पर बात की थी। सभी हमारी बात का समर्थन करते हैं लेकिन कोई भी करता कुछ नहीं है। कनविंस तो सब हो जाते हैं लेकिन फिर भी पक्षपात से काम ले रहे हैं। दोनों कलेक्टर मिले भी हैं लेकिन बिहार के रवैए के कारण कोई समाधान नहीं निकल सका है। आप यह भी देखें कि जंवह, हांसनगर (नैनीजोर), पचसखिया तथा अमरपुर दियारा, बियारे की जमीन डीप स्ट्रीम वेरिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने वहां बुवाई की है। इस वास्ते फसल काटने का अधिकार भी उनका ही है। 1968 के वेरिफिकेशन के अनुसार भी वह उत्तर प्रदेश की है। हम लोग जो हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वह कायदे कानून जो हैं उनका पालन करती है लेकिन बिहार नहीं करता है। हमारे पास परमानेंट रिकार्ड है लेकिन बिहार के पास परमानेंट रिकार्ड भी नहीं है। हर साल वहां फर्जी सर्वे कराया जाता है और 145 के अन्तर्गत 1,000 बीघा जमीन जब्त थी लेकिन उसको बिहार की बता दिया गया है, और दस हजार बीघा से अधिक और पी० ए० सी० लगवा कर उस जमीन में बोई गई फसलों को वे कटवा रहे हैं। अगर उन्होंने पी० ए० सी० को नहीं लगाया होता तो हम उनके साथ निपट सकते थे। तब कोई समस्या नहीं थी।

त्रिवेदी एवार्ड को आए हुए भी काफी समय हो गया है। सरकारी कार्रवाई पूरी हो गई थी। लेकिन उसके खिलाफ भी रिट पड़ी हुई है और उसका कोई फैसला नहीं किया गया है। ये जो न्यायालय हैं वे ग्रेटर गुड के लिए हैं और उसके लिए ही इनको काम करना चाहिए। लेकिन वे नहीं कर रहे हैं। नैशनलाइज्ड बैंक्स सम्बन्धी जो कानून बनाया गया था उसको आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्टरीज को अपने हाथ में लेने के लिए वहां सरकार ने जो निर्णय किया था, उसके

खिलाफ भी जजों ने फैसला दिया। त्रिवेदी एवार्ड भी इसी वास्ते ग्राया कि उत्तर प्रदेश ग्रौर बिहार के बीच जो सीमा विवाद है वह हल हो जाए, शांतिपूर्वक हल हो जाए लेकिन वह मामला भी ग्रभी तक न्यायालय में लटका हुग्रा है, कोई परवाह नहीं कर रहा है। ग्रपील दाखिल करवा कर उसको लटका दिया गया है। हम लोग मर जायेंगे, मिट जायेंगे ग्रगर यही हालत रही। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको देखे। जज भी पक्षपात कर रहे हैं ग्रौर वे भी इसमें दिलचस्पी लेकर इसको लटकाए रखना चाहते हैं। इससे ग्रेटर गुड नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे न्यायालय हैं, जो हमारे जज हैं, उन पर भी किसी प्रकार की पाबन्दी लगाई जाए, उनके ग्रधिकारों को भी सीमित किया जाए। ग्रगर उनके ग्रधिकार इसी तरह से ग्रसीमित रहे तो यह प्रजातंत्र जो है यह नहीं चल पाएगा।

मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। बिहार सरकार ने 145 में जिस दियारे की ज़मीन को जब्त किया है ग्रौर जो फर्जी सर्वे करके ऐसा किया है, क्या मंत्री महोदय इसके लिए तैयार हैं कि उसको मान्यता नहीं दी जाएगी ?

दो स्टेट्स के बीच में मतभेद हैं। वे ग्रापस में उनको दूर नहीं कर पाए हैं। ग्रारा के डी० एम० ग्रौर बलिया के डी० एम०, दोनों डी० एम० मिले थे। उन लोगों से यह मामला तय नहीं हो पाया। ग्रब ग्रापने कहा है कि कमिशनर मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी मामला तय नहीं हो पाएगा। इसका कारण यह है कि बिहार का ग्रोपन माइंड नहीं है। इस वास्ते उनके मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या केन्द्रीय सरकार सोती रहेगी ? जो सर्वेग्रर था उसके काम को भी हाई कोर्ट ने रोक दिया। ग्रब सर्वेग्रर जाकर सर्वे नहीं करा पाएगा। त्रिवेदी एवार्ड रिट के कारण लटका हुग्रा है। इस सबको देखते हुए क्या ग्राप किसी मिनिस्टर को भेजकर, तीसरे ग्रादमी को भेजकर गंगा का मिड डीप स्ट्रीम वेरिफिकेशन करा कर सीमा सम्बन्धी झगड़े को सुलझायेंगे ?

श्री योगेन्द्र शर्मा : मेरा एक प्वाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है। माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां पर बिहार सरकार ने फर्जी सर्वे कराया है। फर्जी सर्वे का मतलब है नकली सर्वे। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार सर्वे सेटलमेंट एक्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने सर्वे कराया। उस सर्वे में ग्रमरपुर दियारा के किसानों की जमीन. . .

ग्रध्यक्ष महोदय : नो नो। ग्रापका नाम नहीं है। इसमें कोई प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं।

श्री योगेंद्र शर्मा : ग्राप तो निष्पक्ष हैं। ग्राप सुन तो लें।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा भी प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है।

ग्रध्यक्ष महोदय : ऐसा ही होगा जैसा उनका था।

श्री रामावतार शास्त्री : ये मामला तय करने की बात कर रहे थे या दो राज्यों को ग्रापस में लड़ाने की बात कर रहे थे, ग्राप इसका निर्णय दें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): ग्रौर क्वैश्चन बन्द कर दिए जाने चाहियें।

ग्रध्यक्ष महोदय : बात यहां नहीं करने देते ग्रौर वहां वे क्या करते होंगे ?

श्री चन्द्रिका प्रसाद : निर्णय हो गया है। मालूम हो गया है कि कौन ज्यादती कर रहा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस मामले में माननीय सदस्य बहुत पहले से रुचि लेते ग्रा रहे हैं। इस समस्या को कई बार उन्होंने हमारे ध्यान में लाया है। इसके बारे में क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने कई बार हमसे कहा है। उनको

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

अच्छी तरह से मालूम है कि तत्काल जहां पर भी हम लोगों को कार्रवाई करने की गुंजाइश थी, वहां हमने की है। जहां तक झगड़े का सवाल है, यह झगड़ा सदियों से चलता आ रहा है। अब भाग्यवश इसका निर्णय हो गया है और संसद के द्वारा एक विधेयक भी पारित हो गया है और उसके अन्तर्गत इस मामले को पूरी तरह से हल कर दिया जाएगा। चूंकि न्यायालय में पेश की गई याचिकाओं के कारण कुछ झगड़ा बीच में पैदा हो गया है इसलिए कुछ देर हुई और कुछ समय के बाद जब परमानेंट बाउंडरी बन जाएगी तो कोई झगड़ा विशेष बाकी नहीं रह जाएगा।

वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं वे अभी तक इस बात को निर्धारित नहीं कर पाए हैं और न ही उनको ऐसा करने का मौका मिला है कि कौनसा खेत किस किसान ने बोया और वह खेत उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है। इसका निर्धारण हो और इस समस्या का हल शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है और वह हस्तक्षेप दोनों सरकार द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। इसमें इस तरह के आरोप लगाना कि फलां सरकार ने गलती की है, उचित नहीं होगा। दोनों ओर से कोशिश इस बात की की जा रही है कि यह समस्या ठीक से हल हो और इस काम में हम दोनों राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य जो इस मामले में इतनी रूचि लेते आए हैं, वह भी कुछ और रूचि लेकर यत्न करेंगे कि जब तक त्रिवेदी एवार्ड के अनुसार वहां बाउंडरी फिक्स नहीं हो जाती—जिसकी आशा है कि कुछ ही महीनों के अन्दर हो जाएगी—स्वयं जाकर प्रयत्न करेंगे कि वहां पर लोगों में झगड़ा न हो और शांतिपूर्वक तथा न्यायपूर्वक यह समस्या हल हो।

श्री योगेन्द्र शर्मा : चौदह हत्यारों को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया है? कैसे शांति होगी?

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे उत्तर से काम नहीं चलेगा। मेरा निवेदन है कि जब दो राज्यों का मामला है, तो केन्द्रीय सरकार को वहां शांति बनाए रखने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि दोनों राज्यों की पुलिस अपने-अपने राज्य के साथ पक्षपात न कर सके. . . (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: If you defy the Chair, I shall not allow your remarks to go onrecord.

श्री मोलहू प्रसाद : **

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। वह जानते हैं कि कालिंग एटेन्शन नोटिस में हर एक मेम्बर सवाल नहीं पूछ सकता है। वह बीच में कैसे आ गए? (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश के रिश्ते बहुत पुराने हैं। इन दोनों में आपस में कुछ विवाद न हो, इसलिए आप केन्द्रीय सरकार से कहें कि वह बीच में पड़कर जल्दी इस समस्या का समाधान करें। (**व्यवधान**)

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : बिहार और उत्तर प्रदेश में जो विवाद चल रहा है, केन्द्रीय सरकार उसमें हस्तक्षेप करने में बिलम्ब कर रही है। क्या उसका एक कारण यह भी है कि गृह मंत्रालय के कुछ बड़े अफ़सर बिहार के पक्ष में दिलचस्पी लेते हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह गलत बात है।

** Not recorded.